न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 196 / 2017 / डिक्री

आबिद हुसैन पिता शुजाउद्दीन बोहरा
निवासी छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. शकुन्तला पत्नि ओमप्रकाश गौड
   निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. मंजुदेवी पत्नि हरिशचन्द गौड – फौत
3. निर्मला कुमारी पत्नि राजकुमार गौड
   निवासी उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर
4. कमलेश कुमारी पत्नि राजकुमार गौड
   निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
5. मनोज कुमार पिता भंवरलाल ब्राह्म्ण
   निवासी छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
6. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी
दिनांक 05 / 09 / 2017 प्रकरण संख्या 104 / 2012

उपस्थित – 1. श्री चन्दनमल जणवा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कैलाश उपाध्याय – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1

निर्णय दिनांक : 23.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वाद पत्र अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के विरूद्ध खातेदारी घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवाडा का प्रस्तुत करते हुए राजस्व ग्राम छोटीसादडी की आराजी नम्बर 869 रकबा 0.91है0 एवं आराजी नम्बर 870 रकबा 1.14 है0 आराजी नम्बर 870 / 2369 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.07 है0 के सम्बन्ध मे प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त आराजीयात रेस्पोडेन्टगण की पैतृक कृषि आराजीयात होकर भंवरलाल पिता मोडीराम ब्राह्म्ण के नाम पर दर्ज थी जिस पर भंवरलाल की मृत्यु के पश्चात्

अकेले मनोज कुमार के खातेदारी मे दर्ज कर दी जबकि वादिया समान रूप से 1/5, 1/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार बनती है ऐसी स्थिति मे वादिया/रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 4 को 4/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार बंटवाडा कराया जावे। विवादित आराजीयात को वादियागण के भाई द्वारा प्रतिवादी आबिद हुसैन अपीलान्ट को सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया जो वादियागण/रेस्पोडेन्टगण के हितो का प्रभावित नही करता है तथा उक्त विक्रय पत्र नल एण्ड वोईड होकर स्वतः ही निरस्त योग्य है। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी/अपीलान्ट का सम्मन उसके भाई पर तामिल कराया गया। वक्त तामिल अपीलान्ट विदेश मे था जिससे उक्त वाद पत्र की प्रतिवादी को कोई जानकारी नही थी। दिनांक 09/10/2013 को उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित हो गये है जिस पर अपीलान्ट द्वारा दो तरफा कार्यवाही बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23/12/2014 को स्वीकार करते हुए कार्यवाही दो तरफा के आदेश पारित किये गये लेकिन आदेशिका मे त्रुटिवश अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 के बजाय प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष मे दो तरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये जबकि प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की ही नही थी इस हेतु अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01/03/2017 को आदेशिका दिनांक 23/12/2014 को दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 के बजाय 1 अंकित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 28/08/2017 को निर्णित करते हुए प्रतिवादी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् दो तरफा कार्यवाही निरस्त करने का आदेश पारित कर पत्रावली दिनांक 04/09/2017 को जवाब हेतु नियत करते हुए सहमति का जवाब रेकार्ड पर लेकर बिना किसी दस्तावेज को प्रदर्शित करवाये वाद पत्र वादियागण/रेस्पोडेन्टस डिक्री कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र मात्र प्रतिवादी संख्या 2 के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 अंकित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को नजरदांज करते हुए पूर्व मे किये गये दो तरफा कार्यवाही के आदेश को बिना किसी आवेदन के रिव्यू करते हुए निरस्त कर बिना किसी साक्ष्य व सबुत व किसी दस्तावेज को प्रदर्शित कराये बगैर आनन–फानन मे अपीलान्ट को नुकसान

पहूॅचाने के उद्देश्य से निर्णय व डिक्री पारित कर दिया जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 28/08/17 के विरूद्ध प्रथम अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय आपमे प्रस्तुत करने की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करा दी थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को अनाधिकृत रूप से लाभ पहूॅचाने के उद्देश्य से जवाब के स्तर पर दो तरफा कार्यवाही को निरस्त कर आनन–फानन मे बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के विवादित सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति होना मान कर जो निर्णय व डिक्री पारित की है व विधि के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अचल सम्पत्ति के खातेदारी, घोषणा, बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था जिसे अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से रेकार्डेड खातेदार से क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया उसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान नही किया व मनमकसुद तरीके से प्राथमिक स्तर पर ही दो तरफा की कार्यवाही के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह निरस्त योग्य है। यघपि मनोज द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलान्ट को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के विक्रय कर दिया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र डिक्री भी किया जाता तब भी मनोज कुमार का हिस्सा अपीलान्ट के पक्ष मे विक्रय होने से मनोज कुमार के ह कमे किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा नही की जा सकती है क्योकि मनोज कुमार द्वारा कोई काउन्टर क्लेम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए मनमकसुद तरीके से जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05/09/2017 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट प्रतिवादी को अपना जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को रेकार्ड पर लिए जाने के पश्चात् गुणवगुण पर निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदात करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23/12/2014 को स्वीकार करते हुए कार्यवाही दो तरफा के आदेश पारित किये गये लेकिन आदेशिका मे त्रुटिवश अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 के बजाय प्रतिवादी संख्या 2 के

पक्ष मे दो तरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये जबकि प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की ही नही थी इस हेतु अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01/03/2017 को आदेशिका दिनांक 23/12/2014 को दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 के बजाय 1 अंकित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 28/08/2017 को निर्णित करते हुए प्रतिवादी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् दो तरफा कार्यवाही निरस्त करने का आदेश पारित कर पत्रावली दिनांक 04/09/2017 को जवाब हेतु नियत करते हुए सहमति का जवाब रेकार्ड पर लेकर बिना किसी दस्तावेज को प्रदर्शित करवाये वाद पत्र वादियागण/रेस्पोडेन्टस डिक्री कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त रिकार्ड एवं तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही हुई है।

5. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अध्ययन किया गया। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णय

पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी द्वारा प्रकरण संख्या 30/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 20/10/2016 यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़